

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 256/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 20.08.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 20.08.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाही की गयी:-

01-थाना पवई: किशोरी को बहला फूसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- अवगत कराना है कि दिनांक 29.07.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना पवई पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 28.07.2024 को वादी की पुत्री को अभियुक्त प्रवीण कुमार बिंद उर्फ गोलू पुत्र स्व0 बेनी उर्फ त्रिवेणी बिन्द निवासी ओरिल (कमटार) थाना पवई जनपद आजमगढ़ शादी का झांसा देकर बहला फूसला कर भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में थाना पवई पर मु0अ0सं0- 267/24 धारा 137(2)/87/352 बी0एन0एस0 व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 एससी एसटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.08.2024 को उ0नि0 मनीष कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त प्रवीण कुमार बिंद उर्फ गोलू पुत्र स्व0 बेनी उर्फ त्रिवेणी बिन्द निवासी ओरिल (कमटार) थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को रैदा मोड़ से समय करीब 07:20 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 267/24 धारा 137(2)/87/352 बी0एन0एस0 व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 109/24 धारा 376/506 भादवि0 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 मनीष मिश्रा, का0 सुरेन्द्र यादव, का0 कुलदीप वर्मा थाना पवई जनपद आजमगढ़।



02-थाना पवई: नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- अवगत कराना है कि दिनांक 16.08.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना पवई पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 16.08.2024 को अभियुक्त खेताऊ पुत्र नन्हकू ग्राम उत्तरगाँवा थाना जफराबाद जिला जौनपुर वादी के घर में घुसकर वादी की पुत्री के साथ छेड़छाड़ किया जिसके सम्बन्ध में थाना पवई पर मु0अ0सं0- 287/24 धारा 76,333 बीएनएस व 9एम/10 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.08.2024 को उ0नि0 अमित कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नीरज बनवासी उर्फ सुरजीत उर्फ खेताऊ पुत्र नन्हकू निवासी उत्तरगाँवा थाना जफराबाद जनपद जौनपुर उम्र करीब 19 वर्ष को खण्डौरा पानी टंकी के पास से समय करीब 06:20 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अमित मिश्रा, का0 बसन्त कुमार, का0 लोकेश प्रताप सिंह थाना पवई जनपद आजमगढ़।



03-थाना सिधारी: चोरी गये मंगलसूत्र के साथ 03 अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना- अवगत कराना है कि दिनांक 19.08.2024 को वादिनी मुकदमा दिक्षा चौहान पत्नी सुरेश चौहान सा0 जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष द्वारा थाना सिधारी पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादिनी का सोने का मंगलसूत्र तीन अज्ञात महिलाओं ने काट कर चोरी कर लिया है जिसके सम्बन्ध में थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 283/24 धारा – 303(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया। विवेचना के क्रम में 1. गीता पत्नी इन्द्रेण उम्र करीब 45 वर्ष ग्राम तेनुआ थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 2. प्रियंका उर्फ पिकी पत्नी मोनू उम्र करीब 38 वर्ष ग्राम जौहराबाद थाना बरेसर जनपद गाजीपुर 3. रेखा पत्नी करन उम्र करीब 30 वर्ष ग्राम जौहराबाद थाना बरेसर जनपद गाजीपुर का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 19.08.2024 को उ0नि0 प्रमोद मद्धेशिया मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आयी अभियुक्ता 1. गीता पत्नी इन्द्रेण उम्र करीब 45 वर्ष ग्राम तेनुआ थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 2. प्रियंका उर्फ पिकी पत्नी मोनू उम्र करीब 38 वर्ष ग्राम जौहराबाद थाना बरेसर जनपद गाजीपुर 3. रेखा पत्नी करन उम्र करीब 30 वर्ष ग्राम जौहराबाद थाना बरेसर जनपद गाजीपुर को पहलवान तिराहे से समय करीब 13:30 बजे गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से **चोरी का मंगलसूत्र बरामद हुआ।**

गिरफ्तार अभियुक्ता-

1. गीता पत्नी इन्द्रेण उम्र करीब 45 वर्ष ग्राम तेनुआ थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
2. प्रियंका उर्फ पिकी पत्नी मोनू उम्र करीब 38 वर्ष ग्राम जौहराबाद थाना बरेसर जनपद गाजीपुर
3. रेखा पत्नी करन उम्र करीब 30 वर्ष ग्राम जौहराबाद थाना बरेसर जनपद गाजीपुर

अपराधिक इतिहास-

A- गीता

1. मु.अ.स. 112/19 धारा 379/511 भादवि थाना अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर
2. मु.अ.स. 281/21 धारा 379/411 भादवि थाना अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर
3. मु.अ.स. 19/23 धारा 379/411/420 भादवि थाना सिकरारा जनपद जौनपुर
4. मु0अ0सं0 309/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

B- प्रियंका उर्फ पिकी

1. मु0अ0सं0- 275/23 धारा 279/411 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 309/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

C- रेखा

1. मु0अ0सं0- 275/23 धारा 279/411 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 309/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

बरामदगी- 01 मंगलसूत्र (चोरी हुआ)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 प्रमोद मद्धेशिया, का0 इन्दल यादव, म.का. किरन वर्मा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।



04-थाना जहानागंज: गांजा की बिक्री करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार लगभग 2.5 किलोग्राम गांजा व बिक्री के 460/- रुपये बरामद

अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व तस्करी पर रोक लगाये जाने तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के तहत दिनांक 19.09.2024 को उ0नि0 आदित्य कुमार सिंह मय हमराह द्वारा ग्राम गम्भीरबन से अभियुक्त रामशब्द राजभर पुत्र शिवदसई प्रसाद राजभर निवासी दयालापुर गम्भीरबन थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष को 2.400 ग्राम नाजायज गाँजा व बिक्री के 460 रूपये के साथ समय करीब 20:50 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 429/24 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गांजा बेचने में सहायता करने तथा सप्लाई करने वाले अभियुक्तों को यथाशिघ्र गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 आदित्य कुमार सिंह, हे0का0 विपिन सिंह यादव, का0 आलोक कुमार थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।



05-थाना पवई: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- अवगत कराना है कि दिनांक 17.06.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना पवई पर प्रा0 पत्र दिया गया कि अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र रामउजागिर यादव ग्रा0 रामपुर थाना शाहगंज जनपद जौनपुर ने वादिनी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया तथा जब वादिनी द्वारा की शादी की बात की गयी तो टाल मटोल करने लगा वादिनी द्वारा शादी का दबाव बनाने पर अभियुक्त गाली देने लगा। वादिनी ने इस बात की शिकायत अभियुक्त के भाई सुनील की तो जान मारने की धमकी देने लगा जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 225/2024 धारा 376, 504, 506 भादवि बनाम 1.अनिल कुमार यादव पुत्र रामउजागिर यादव ग्रा0 रामपुर थाना शाहगंज जनपद जौनपुर 2. सुनील यादव पुत्र रामउजागिर नि0 ग्राम रामपुर थाना शाहगंज जनपद जौनपुर के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.08.2024 को थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अनिल कुमार यादव पुत्र रामउजागिर यादव ग्रा0 रामपुर थाना शाहगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब 25 वर्ष को बागबहार पुलिस से समय करीब 13:25 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष पवई अनिल कुमार सिंह, हे0का0 इसरार शेख, का0 अनुराग यादव थाना पवई जनपद आजमगढ़।

